प्रेषक,

डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 08 दिसम्बर, 2020

विषय: राजकीय Hawker 900XP, VT-UPM, MSN HA-100 वायुयान के Main and Nose Landing Gear Assembly एवं इनके Side/ Drag Stay Assembly के इंगित 06 कंपोनेंट्स का ओवरहाल कराये जाने की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-366/CADUP/ENG(PUR)/UPL-05/2020, दिनांक 17 नवम्बर, 2020 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमे आपके द्वारा अवगत कराया गया है कि राजकीय Hawker 900XP, VT-UPM, MSN HA-100 वायुयान के Main and Nose Landing Gear Assembly एवं इनके Side/ Drag Stay Assembly के इंगित 06 कंपोनेंट्स कैलेन्डर अवधि 12 वर्ष के पूर्ण होने पर ओवरहाल हेतु ड्यू है ।

2- आपके संदर्भगत पत्र में किए गए प्रस्ताव के क्रम में श्री राज्यपाल राजकीय Hawker 900XP, VT-UPM, MSN HA-100 वायुयान के Main and Nose Landing Gear Assembly एवं इनके Side/ Drag Stay Assembly के इंगित 06 कंपोनेंट्स का ओवरहाल वायुयान निर्माता फर्म M/s. Textron Aviation, Wichita, U.S.A. से कोटेशन संख्या 200011764 दिनांक 04.11.2020 के अनुसार कराये जाने हेतु कुल यू.एस. डालर 125000.00 जो कि भारतीय मुद्रा में रूपये 78/- प्रति यू.एस. डालर की विनिमय दर से कुल रूपये 97,50,000/- (रूपये सत्तानबे लाख पचास हजार मात्र) तथा कस्टम हाउस एजेन्ट, मेसर्स सी. जी. लाजिस्टिक्स प्रा0 लि0, नई दिल्ली को पुनर्आयात पर होने वाले अनुषांगिक व्यय GST/ customs duty हेतु रूपये 9,36,000/- (रूपये नौ लाख छत्तीस हजार मात्र) अर्थात कुल योग रूपये 1,06,86,000/- (रूपये एक करोड़ छः लाख छियासी हजार मात्र) के व्यय की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा उक्त धनराशि के अग्रिम आहरण कराये जाने की स्वीकृति निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं :-

1- उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान दो हिस्सों में किया जायेगा यथा कुल धनराशि 125000.00 यू.एस.डालर के 70% का भुगतान वायुयान निर्माता फर्म M/s. Textron Aviation, Wichita, U.S.A. को कार्यादेश निर्गत करने के उपरांत तथा बची हुई 30% धनराशि का भुगतान Components के Tear Down/ Strip Inspection के पश्चात फाईनल इनवॉइस के आधार पर कार्य शुरू करने से पूर्व फर्म को किया जाएगा अर्थात

2/--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

प्रथमतः USD 87500.00 जो कि भारतीय मुद्रा में रूपये 78.00 प्रति यू.एस. डालर की विनिमय दर से रूपये 68,25,000/- तथा उसके बाद यू.एस. डालर 37500.00 जो भारतीय मुद्रा में रूपये 29,25,000/- का भुगतान किया जायेगा ।

2- निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में स्वीकृत समस्त अग्रिम धनराशि का समायोजन वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक अवश्य कर लिया जाए तथा प्रश्नगत धनराशि का समायोजन कराते हुए महालेखाकार के पुस्ताकिंत आकड़ों में किया जायेगा।

3- स्वीकृत धनराशि का आहरण वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-ए-1-2774/दस-15-1(1)/69, दिनांक 25-10-1983 एवं संख्या-ए-1-235/दस-2011-15/1(1)/69, दिनांक 10-06-2011 एवं संख्या-12/2017/ए-1-873/दस-2017-15-1(1)/69, दिनांक 18.09.2017 में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा।

4- उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान फर्म को तत्कालीन विनिमय दर से करने के पश्चात अधिशेष धनराशि मार्जिन मनी एकाउण्ट में जमा की जायेगी।

5- वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गई व्यवस्था के अनुसार आहरण / समायोजन में किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता या क्षति होती है, तो उसके लिए निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

6- निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

7- निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण एवं व्यय से सम्बन्धित पक्षों द्वारा वित्तीय नियमों/आदेशों/ प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8- निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा ।

9- निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा स्वीकृत धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 24 मार्च, 2020 एवं दिनांक 18 मई, 2020 द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

10- निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय शासन द्वारा निर्गत शासनादेश के अनुरूप किया जायेगा।

11- यदि बजट के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पाई जाती है तो इसका उत्तरदायित्व निदेशक, नागरिक उड्डयन का होगा।

12- उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान फर्म को तत्कालीन विनिमय दर से करने के पश्चात् अधिशेष धनराशि मार्जिन मनी एकाउण्ट में जमा की जाएगी। आहरण/समायोजन में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता/ क्षति होती है, तो उसके लिए निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

13- बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 का होगा। वित्तीय स्वीकृति का कार्यादेश निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जाएगा।

3/--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

14- निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है।

15- अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जाएगा।

3- उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-38 के अधीन पूँजीगत लेखा ''लेखाशीर्षक - 5053-नागर विमानन पर पूँजीगत परिव्यय-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-04-हेलीकाप्टर/वायुयान की विशेष मरम्मत-42-अन्य व्यय'' के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या- ई-7-1197/दस-2020 दिनांक: 07 दिसम्बर, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
उप सचिव

पृ0सं0 : 88/2020/2157(1)/छप्पन-2020-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- उप महालेखाकार, ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/ वित्त (लेखा) अनुभाग-1/2
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सुरेन्द्र कुमार
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।